

542

199

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प्र.18(38)नविवि/एनएचपी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक: 08 FEB 2017

आदेश

विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.10.2015 के निरन्तरता में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत आवेदित समस्त प्रकरणों में प्रोत्तिनी के प्रावधानानुसार यज्ञमोदित योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आयवर्ग (ई.डक्यूएस/एलआई.जी.) क्षेत्र हेतु फायरसेस हेतु ली जाने गली राशि में पूर्णतया छूट दी जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशेष सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर निगम, समस्त।
10. निदेश, एन.ए. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध किया जायेगा।
11. अभिलेखित।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम